न्यायालय जनपद न्यायाधीश, बहराइच।

प्रकीर्ण सिविल वाद संख्या–82/2026

गुलाम मोहम्मद उर्फ बजरू बनाम मुबारक आदि।

CNR NO.UPBH010026492026

20.07.2026

3–ग अन्तरण प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत। आवेदक के विद्वान अधिवक्ता उपस्थित। सुना एवं अभिलेखों का सम्यक् अवलोकन किया। विपक्षीगण को तामीला हेतु नोटिस प्रेषित की गई, जो उनकी पत्नी पर तामील हुई, किन्तु विपक्षीगण की ओर से कोई उपस्थित नहीं हुआ। विपक्षीगण पर तामीला पर्याप्त माना जा चुका है।

3–ग अन्तरण प्रार्थना–पत्र आवेदक गुलाम मोहम्मद उर्फ बजरू की तरफ से इस आधार पर प्रस्तुत किया गया है कि सामान्य वाद संख्या–08/2026, मुबारक बनाम गुलाम मोहम्मद उर्फ बजरू आदि, ग्राम न्यायालय नानपारा बहराइच में विचाराधीन है। सामान्य वाद संख्या–499/2026, गुलाम मोहम्मद उर्फ बजरू बनाम मुबारक, न्यायालय सिविल जज(अवर खण्ड) बहराइच में विचाराधीन है। उक्त दोनों वाद एक ही विवादित सम्पत्ति के सम्बन्ध में दो अलग–अलग न्यायालय पर विचाराधीन हैं। दोनों पक्षकार एक ही हैं। उपरोक्त कथनों के आधार पर याचना की गई कि ग्राम न्यायालय नानपारा बहराइच में विचाराधीन पत्रावली सामान्य वाद संख्या–08/2026 को न्यायालय सिविल जज(अवर खण्ड) बहराइच के यहां विचाराधीन पत्रावली सामान्य वाद संख्या–499/2026 के साथ सुनवायी हेतु स्थानान्तरित की जाये। अन्तरण प्रार्थना–पत्र स्वयं के शपथ–पत्र 4–ग से समर्थित है।

विपक्षीगण की ओर से नोटिस तामीला के बावजूद भी कोई उपस्थित नहीं हुआ और न ही उनकी ओर से कोई लिखित या मौखिक आपत्ति प्रस्तुत की गई।

सम्बन्धित न्यायालयों के पीठासीन अधिकारियों की उपलब्ध आख्यानुसार उक्त वाद उक्त न्यायालयों में विचाराधीन हैं।

आवेदक द्वारा अन्तरण प्रार्थना–पत्र उक्त दोनों वाद की विवादित सम्पत्ति एवं पक्षकार एक होने के कारण एक साथ सुनवाई हेतु स्थानान्तरित किये जाने की याचना के साथ प्रस्तुत किया गया है। विपक्षीगण की ओर से उक्त अन्तरण प्रार्थना–पत्र पर आपत्ति करने हेतु कोई उपस्थित नहीं हुआ और न ही कोई आपत्ति दाखिल की गई। अतः न्याय निर्णयन में सुविधा के दृष्टिकोण से 3–ग अन्तरण प्रार्थना–पत्र न्यायहित में स्वीकार किये जाने योग्य है।

आदेश

3–ग अन्तरण प्रार्थना–पत्र न्यायहित में स्वीकार किया जाता है। सामान्य वाद संख्या–08/2026, मुबारक बनाम गुलाम मोहम्मद उर्फ बजरू आदि को ग्राम न्यायालय नानपारा, बहराइच से विधि अनुकूल निस्तारण हेतु न्यायालय सिविल जज(अवर खण्ड), बहराइच में स्थानान्तरित किया जाता है।

सम्बन्धित न्यायालय को यह भी निर्देशित किया जाता है कि पक्षकारों को सूचना प्रेषित किये जाने के उपरान्त ही इस वाद में कार्यवाही करना सुनिश्चित करें।

(राजेश कुमार सिंह)
जनपद न्यायाधीश, बहराइच।
Id No.–UP2017

दिनाँकः 20.07.2026

Digitally signed by RAJESH KUMAR SINGH
Date: 2026.07.20 17:17:32 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court